न्यायालय:— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) (पीठासीन अधिकारी:—सिराज अली)

<u>व्यवहार वाद क्रमांक—47ए / 2014</u> <u>संस्थापन दिनांक—08.01.2013</u> <u>फाईलिंग क.234503002672014</u>

Talan Sta

1— मेहतलाल पिता किशनलाल, उम्र—42 वर्ष, जाति पंवार, निवासी—ग्राम लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2— श्रीमती भागवन्ताबाई पति मेहतलाल, उम्र—35 वर्ष, जाति पंवार, निवासी—ग्राम लिंगा, तहसील परसवाड़ा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

– <u>वादीगण</u>

विरूद्ध

- 1— मध्य प्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर बालाघाट, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
- 2— अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बैहर,
- 3— तहसीलदार, तहसील परसवाड़ा,
- 4— पटवारी, प.ह.नं—७ / 15, ग्राम लिंगा, तह. परसवाड़ा,
- 5— सरपंच, ग्राम पंचायत लिंगा, जनपद पंचायत परसवाड़ा,
- 6— सचिव ग्राम पंचायत लिंगा, जनपद पंचायत परसवाड़ा, तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट — — — **प्रतिवादीगण**

-:// <u>निर्णय</u> //:-<u>(आज दिनांक-27/11/2015 को घोषित)</u>

1— वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह व्यवहार वाद ग्राम लिंगा प. ह.नंबर 7/15, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर—248/4 में से रकबा 0.05 डिसमिल भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर पट्टे के आधार पर हक प्राप्त होने की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

- 2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।
- वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पास आवास हेतु भू-खण्ड न होने पर ग्राम पंचायत लिंगा द्वारा ग्राम सभा की बैठक में दिनांक-17.08.2009 को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर श्रीमती भागवन्ताबाई के नाम पर पट्टा प्रदाय किया गया है। उक्त प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् विवादित भूमि मौके पर पटवारी, सचिव व सरपंच के द्वारा कब्जा सौंपा गया, तब से वादीगण ने उक्त भूमि पर मकान निर्माण कर परिवार सहित निवासरत् है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में सुनिताबाई की भूमि, पश्चिम व उत्तर दिशा में सड़क तथा दक्षिण दिशा में फूलचंद की भूमि स्थित है। वादीगण के विरूद्ध दुर्भावनावश कुछ व्यक्तियों ने पटवारी से मिलकर विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने की झूठी शिकायत कर खसरा नंबर-235/1 की भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रतिवेदन तैयार करने पर तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में केस दर्ज किया गया है। तहसीलदार द्वारा बिना जांच किये पटवारी प्रतिवेदन आधार पर बेदखली वारंट जारी किया गया, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष किये जाने पर वहां भी कोई सुनवाई न होते हुए दिनांक-11.12.2012 को वादी क्रमांक-1 के विरूद्ध सिविल जेल भेजने की कार्यवाही के आदेश किये गए हैं। वादीगण के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। वादीगण ने विवादित भूमि पर हक प्राप्त होने की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।
- 4— प्रतिवादीगण ने लिखित कथन में वादपत्र के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वादीगण को विवादित भूमि के संबंध में पट्टा देने का प्रस्ताव पूर्ण नहीं हुआ और वादीगण ने पट्टा प्रमाण पत्र में वांछित राशि अदा नहीं की। वादीगण को कोई भूमि पट्टे के अनुसार नहीं दी गई है

और न ही विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। वादी क्रमांक—1 ने शासकीय भूमि खसरा नंबर—235/1 एवं 247 की भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसके संबंध में तहसीलदार के द्वारा 1500/—रूपये जुर्माना एवं अतिक्रमण न हटाने पर सिविल जेल भेजने का आदेश पारित किया गया है। उक्त प्रकरण की अपील अनुविभागीय अधिकारी बैहर के द्वारा निरस्त कर दी गई है। राजस्व न्यायालय के निर्णय को कोई चुनौती नहीं दिए जाने पर वादी क्रमांक—1 पर उक्त निर्णय बंधनकारी है। वादीगण ने असत्य आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है। अतएव वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

5— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :--

<u>क्रं</u> .	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी श्रीमती भागवन्ताबाई को वादग्रस्त भूमि सर्वे	
	कमांक—248 / 4, रकबा 2.00 एकड़ में से (100 x 50 कड़ी) 0.05 डिसमिल भूमि स्थित ग्राम लिंगा की शासकीय भूमि का पट्टा दिनांक—17.08.2009 को आवंटित किया गया था ?	प्रमाणित
2	क्या वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि पर विधिवत	1 of
	कब्जा प्राप्त करके उस पर वर्ष 2009 में मकान का निर्माण कर लिया था ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या वादीगण का उक्त वाद का श्रवण करने का	प्रमाणित
	क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है ?	
4	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम
	10 B	कंडिका अनुसार

—:: <u>सकारण निष्कर्ष</u> ::— वादप्रश्न क्रमांक—<u>1 व 2 का निराकरण</u>

6— सुविधा की दृष्टि से उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। वादीगण ने खसरा नंबर—248/4 रकबा 1.215 हेक्टेअर भूमि का खसरा फार्म वर्ष 2012—13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी—1 पेश की है, जिसमें उक्त भूमि शासकीय आबादी मद की भूमि के रूप में दर्ज है। वादी भागवन्ताबाई के नाम का ग्राम पंचायत लिंगा के द्वारा जारी ग्राम स्थल के लिए भूमि स्वामी के

अधिकार दिए जाने संबंधी प्रमाण पत्र पट्टा प्रदर्श पी—2 पेश है, जिसमें खसरा नंबर—248/4, में से 0.05 डिसमिल भूमि जिसके पूर्व दिशा में सुनिता, पश्चिम व उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में फूलचंद की भूमि की चर्तुसीमा का लेख है, को भागवन्ताबाई पित मेहतलाल को पट्टे पर दिया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से राजस्व प्रकरण कमांक—20—3—68/2011—12 में अनुविभागीय अधिकारी बैहर द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—7 में भी यह उल्लेख है कि भागवन्ताबाई पित मेहतलाल को विवादित भूमि ग्राम पंचायत लिंगा के सरपंच के द्वारा आवासीय पट्टा दिया गया है और पट्टा दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव कमांक—13 के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रतिवादी साक्षी तहसीलदार डी.आर.एस. काकोड़िया (प्र.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि ग्राम पंचायत लिंगा द्वारा वादीगण के पक्ष में खसरा नंबर 248/4, रकबा 5 डिसमिल भूमि के संबंध में वैधानिक पट्टा दिया गया है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से वादी भागवन्ताबाई के पक्ष में विवादित भूमि का पट्टा प्राप्त होना प्रमाणित है।

7— प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से राजस्व प्रकरण क्रमांक—20— अ—68/2011—12 की आदेशपत्रिका की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—1 लगायत प्रदर्श डी—6, आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—7, राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा ने तहसीलदार को दिया गया जांच प्रतिवेदन व पंचनामा, नक्शा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—8 लगायत प्रदर्श डी—11, वादी मेहतलाल को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में दिया गया नोटिस की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—12 से यह प्रकट होता है कि वादी मेहतलाल के विरुद्ध शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने के संबंध में तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू—राजस्व संहिता की धारा—248 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के संबंध में पारित आदेश, बेदखली वारंट, बेदखली वारंट का जवाब क्रमशः प्रदर्श डी—19 लगायत प्रदर्श डी—26 की सत्यप्रतिलिपि भी पेश है। उक्त कार्यवाही के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी बेहर द्वारा पारित आदेश में तहसीलदार के बेदखली आदेश को यथावत रखा गया होना प्रकट होता है।

8— वादी मेहतलाल के द्वारा तहसीलदार परसवाड़ा को शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कार्यवाही में प्रेषित जवाब की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी—13 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी मेहतलाल ने विवादित भूमि के पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य करना और उक्त भूमि की सीमा नापकर नहीं बताया

जाना लेख किया है। साक्षी मेहतलाल (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके विरुद्ध तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली आदेश की अपील निरस्त हो चुकी है। साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया कि उसे विवादित भूमि का पट्टा प्राप्त होने पर कब कथित मकान का निर्माण किया गया और कब कथित रूप से उसे विवादित भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार कथित बेदखली या हस्तक्षेप करने के संबंध में निश्चित समय अविध को न तो वादीगण के अभिवचन में और न ही साक्ष्य में प्रकट किया गया है।

- 9— वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी लेखराम (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने अपने मुख्यपरीक्षण में वादीगण के द्वारा शासकीय 10 डिसमिल भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में लिखा है, वह गलत है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वादीगण के विरुद्ध खसरा नंबर—235/1 व 247 की भूमि में अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त कार्यवाही के नोटिस के जवाब में वादीगण ने हल्का पटवारी द्वारा उसे भूमि की सीमा नहीं बताना लेख किया था। इस प्रकार उक्त वादी साक्षी के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि के स्थान पर अन्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया गया है।
- 10— प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार डी.आर.एस. काकोड़िया (प्र.सा. 1) ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बताया है कि वादी क्रमांक—1 ने घास मद की खसरा नंबर 235/2 में से रकबा 0.10 डिसमिल एवं खसरा नंबर—247 में से रकबा 0.24 डिसमिल की घास भूमि कुल 0.34 डिसमिल भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसके संबंध में बेदखली की कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त कार्यवाही से बचने के लिए वादीगण ने यह वाद पेश किया है। उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि वादीगण को विवादित भूमि ग्राम पंचायत द्वारा नाप कर नहीं दी गई है तथा उस पर वादीगण ने निर्माण कार्य नहीं किया है और न ही कोई कब्जा है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी यह प्रकट होता है कि वादीगण ने विवादित भूमि के पट्टे वाली भूमि से भिन्न शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कर लिया है, जिसके बेदखली की कार्यवाही तहसीलदार के द्वारा की जा रही है।

11— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी भागवन्ताबाई को विवादित भूमि का आवासीय पट्टा प्रदान किया गया है, किन्तु उक्त भूमि पर उसने निर्माण कार्य न करते हुए अन्य शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य कर लिया है। ऐसी दशा में वादीगण के विरुद्ध की जाने वाली बेदखली की कार्यवाही को रोके जाने के संबंध में वादीगण को इस न्यायालय से सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। वादीगण ने यह प्रमाणित किया है कि वादी श्रीमती भागवन्ताबाई को वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक—248/4, रकबा 2.00 एकड़ में से (100 x 50 कड़ी) 0.05 डिसमिल भूमि स्थित ग्राम लिंगा की शासकीय भूमि का पट्टा को आवंटित किया गया था। वादीगण ने यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि उक्त पट्टे में प्राप्त भूमि पर उनके द्वारा विधिवत कब्जा प्राप्त करके उस पर वर्ष 2009 में मकान का निर्माण कर लिया था। अतएव वादप्रश्न कमांक—1 ''प्रमाणित'' के रूप में एवं वादप्रश्न कमांक—2 ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में निराकृत किये जाते हैं।

वादप्रश्न क्रमांक-3 का निराकरण

12— वादीगण ने यह व्यवहार वाद विवादित भूमि के पट्टा प्राप्त होने के आधार पर हक की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया है। उक्त अनुतोष के संबंध में प्रस्तुत वाद का राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण ने शासकीय भूमि पर किये जाने वाले अतिक्रमण के संबंध में की जाने वाली राजस्व न्यायालय की बेदखली की कार्यवाही रोकने हेतु कोई अनुतोष की मांग नहीं की है। ऐसी दशा में इस वाद का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होना प्रकट होता है। अतएव वादप्रश्न क्मांक—3 "प्रमाणित" के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

13— वादीगण ने विवादित भूमि का पट्टा प्राप्त होने के आधार पर विवादित भूमि पर हक प्राप्त होना प्रमाणित किया है, किन्तु विवादित भूमि को विधिवत् आधिपत्य में प्राप्त करते हुए उस पर मकान निर्माण कार्य किया जाना और कथित निर्माण पर प्रतिवादीगण के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं किया है। वादी कमांक—1 के द्वारा अन्य शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से उसके विरुद्ध विधि अनुसार तहसीलदार के द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गई

- है, जिसके संबंध में इस न्यायालय से वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त सभी कारण से वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतएव वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वाद में निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है :-
 - (1) वादी श्रीमती भागवन्ताबाई को ग्राम लिंगा प.ह.नंबर 7/15, रा.नि.मं. व तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर-248/4 में से रकबा 0.05 डिसमिल भूमि (100 x 50 कड़ी) का ग्राम पंचायत लिंगा द्वारा पट्टा प्राप्त होने से उक्त भूमि पर हक प्राप्त है।
 - (2) बादीगण का प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा निरस्त किया जाता है।
 - (3) उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के ALIMANIA PARETA PARETA अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर

(सिराज अली) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, 🗘 बैहर